बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम सं0 27) की धारा 30 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली 2007 (एम0 एस0 ई0 एफ0 सी0) में निम्न प्रकार संशोधन करते हैं।

1. नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :

(i) यह नियमावली सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉसिल (संशोधन) नियमावली 2013 कही जाएगी,

(ii) यह नियमावली तुरंत प्रवृत होगी,

(iii) इस नियमावली का विस्तार पूरे राज्य में होगा।

2. सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉसिल नियमावली 2007 की कंडिका 5 के बाद एक नई कंडिका 5 "क" निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

5'क' भू–राजस्व के एरियर के रूप में बकाये राशि की वसूली:– यदि कोई क्रेता परिषद या किसी संस्थान या केन्द्र द्वारा पारित किसी डिक्री, निर्णय या अन्य आदेश को खारिज करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत कोई अपील दाखिल नहीं करता है या अपील दायर करने की समयावधि समाप्त हो गई है या ऐसा अपील रद्द कर दी जाती है, तो वैसी स्थिति में उक्त डिक्री, निर्णय या आदेश का कार्यान्वयन संबंधित जिला के समाहर्त्ता द्वारा किया जाएगा और बकाया राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जाएगी।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
16.8.13

सरकार के अपर सचिव,
16.8.13 उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2/उ0 नि0 विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल)– 51/2006 3255 पटना, दिनांक 22.8.13

प्रतिलिपि : प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसकी 1000 प्रतियाँ भी विभाग को उपलब्ध करावें।

16.8.13

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–2/उ0 नि0 विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) –51/2006 3255 पटना, दिनांक 22.8.13

प्रतिलिपि : सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप–विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.13

सरकार के अपर सचिव,
16.8.13 उद्योग विभाग, बिहार, पटना